रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2017/फाल्गुन 10, 1938
No. 603] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUNA 10, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

का.आ. 673(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन माध्यमिक प्रक्रम पर दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा की स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है । इस स्कीम का उद्देश्य 14^{+} से 18^{+} की आयु वर्ग के ऐसे विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सीडब्ल्यूएसएन कहा गया है), जो कक्षा 9 से कक्षा 12 में अध्ययन कर रहें हैं, शैक्षिक आवश्यकताओं को एक समावेशी और समर्थकारी वातावरण में पूरा करना है और इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है । इस स्कीम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले और सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक प्रक्रम पर अध्ययन करने वाले सभी ऐसे दिव्यांग विद्यार्थियों को समर्थ बनाना है, जो एक या अधिक निशक्तताओं से ग्रस्त हैं, जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में परिभाषित हैं, अर्थात्:-- (i) अंधता, (ii) कम दृष्टि, (iii) कोढ़ रोगमुक्त, (iv) श्रवण शक्ति ह्रास, (v) लोको मोटर निःशक्तताएं, (vi) मानसिक मंदन, (vii) मानसिक रोग, (viii) स्वपरायणता और (ix) प्रमस्तिष्क घात;

और पूर्वोक्त स्कीम में विशेष आवश्यकताओं वाली बालिकाओं को दो सौ रुपए (200/-) प्रति मास प्रति बालिका के लिए एक वर्ष में दस मास के लिए वृत्तिका उपलब्ध कराके फायदा प्रदान करने का उपबंध है, जो कि भारत की संचित निधि से उपगत होने वाले आवर्ती व्यय का भाग है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे ।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, तारीख 30.09.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगें ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी विभाग से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां आस-पास कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूआईडीएआई कहा गया है) के रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा :

परंतु ऐसे विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की दशा में, जो चोट, अंग विकार, अंगुलियों या हाथ के विच्छेदन के कारण या किसी अन्य सुसंगत कारण से अंगुलियों की छाप उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, केवल आइरिस स्कैन संग्रहित किया जाएगा । तथापि, विशेष आवश्यकताओं वाले ऐसे विद्यार्थियों की दशा में, जो आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 द्वारा अनुध्यात कोई बायोमीट्रिक सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, वहां आधार नामांकन करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 6 के उप-विनियम (2) के निबंधनों के अनुसार, विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :

परंतु यह और कि उस समय तक जब तक व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या जन्म का अभिलेख ; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड ; या

(v) कोई सरकारी कुटुम्ब हकदारी कार्य; या

(vi) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह भी कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों के लिए सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(1) राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी विभाग के कार्यालयों द्वारा या सरकारी विद्यालयों, स्थानीय निकायों या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों के बीच मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख 30.09.2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी । स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी विभाग से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा की जाएगी तथा स्कीम के अधीन फायदाग्राही, अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को देकर या इस प्रयोजन के लिए वैब पोर्टल पर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 14-14/2016-आरएमएसए।।/आईई]

मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव (स्कूल शिक्षा-1)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2017

S.O. 673(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development in the Government of India is administering Inclusive Education of the Disabled at Secondary Stage (hereinafter referred to as the scheme), under Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. The scheme aims to cater to the educational needs of Children With Special Needs (hereinafter referred to as CWSN) in the age group 14+ to 18+ and studying in classes IX to XII in an inclusive and enabling environment which is implemented through the State Governments and Union territory Administrations. The scheme aims to enable all CWSN passing out of the elementary schools and studying at secondary and higher secondary stage in Government, local body and Government-aided schools, and having one or more disabilities as defined under the Persons with Disabilities Act, 1995 and the National Trust Act, 1999 namely, (i) Blindness, (ii) Low vision, (iii) Leprosy cured, (iv) Hearing impairment, (v) Locomotor disabilities, (vi) Mental retardation, (vii) Mental illness, viii) Autism, and (ix) Cerebral Palsy, and eventually cover Speech impairment, Learning Disabilities;

And whereas, the aforesaid scheme has a provision to benefit girl child with special needs by providing stipend of two hundred rupees (Rs. 200/-) per month per girl for ten months in a year as part of recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Human Resource Development hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of receiving the benefits under the scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of receiving benefits under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30.09.2017, provided she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department in-charge of implementation of the scheme in the State Governments or Union territory Administrations are required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in the vicinity the Department in-charge of implementation of the scheme in the State Governments or Union territory Administrations may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that in case of children with special needs who are unable to provide fingerprints, owing to reasons such as injury, deformities, amputation of the fingers or hands or any other relevant reason, only Iris scans shall be collected. However, for such children with special needs who are unable to provide any biometric information contemplated by the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the procedure specified by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) in terms of sub-regulation (2) of Regulation 6 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, shall be followed to carry out enrolment for Aadhaar:

Provided further that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the scheme, shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) If she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 ; and

(b) (i) Birth Certificate or Record of birth issued by the appropriate Government authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Central Government Health Scheme (CGHS) card; or

(v) any Government Family Entitlement card; or

(vi) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided also that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department in-charge of implementation of the scheme in the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the scheme, the Department in-charge of implementation of the scheme in the State Governments or Union territory Administrations shall make all the required arrangements including following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the offices of the Department in-charge of implementation of the scheme in the State Government or Union Territory Administrations or through Government schools, local bodies or Government-aided schools, shall be given to the

beneficiaries under the scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30.09.2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries under the scheme are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the block or tehsil or taluka, the Department in-charge of implementation of the scheme in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries under the scheme may register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the Nodal Officer of Education Department or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette, in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 14-14/2016-RMSA II/IE]

MANEESH GARG, Jt. Secy. (School Education–I)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.05 13:51:43 +05'30'